कायालय आयुक्त उच्च शिक्षा सचालनालय
सतपुड़ा भवन, भोपाल
// आदेश //

दिनांक 14-07-2025

क्र.1/316620/2025/1/0104/2025-ACAD-DHE उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1/261370/2025/सी.सी./2025/38 भोपाल, दिनांक 14-05-2025 के अनुक्रम में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/ अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं के अतिरिक्त सी.एल.सी चरण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. अतिरिक्त सीएलसी चरण 16 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक आयोजित किया जायेगा ।
2. 16 जुलाई 2025 से प्रतिदिन प्रवेश पोर्टल पर महाविद्यालय वार रिक्त सीटों का प्रदर्शन किया जायेगा ।
3. रिक्त सीटों पर विद्यार्थी सीधे महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर सकेगे ।
4. 16 जुलाई 2025 से प्रतिदिन विद्यार्थी शाम तीन बजे तक पंजीयन/विकल्प चयन कर सकेगा तत्पश्चात हेल्प सेंटर द्वारा चार बजे तक प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जायेगा।
5. शाम पांच बजे मेरिट जारी की जाएगी । मेरिट जारी होने के 24 घंटे में प्रवेश शुल्क जमा करना होगा ।
6. प्रवेश शुल्क जमा न किये जाने की स्थिति में प्रवेश मान्य नहीं होगा ।
7. निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क जमा न करने पर पुनः रीचॉइस करना होगी **।**
8. यह प्रक्रिया **31** जुलाई 2025 तक की जाएगी ।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Tulsi Ram Dahayat
Date: 14-07-2025
18:38:14

(डॉ. तुलसीराम दहायत)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा म.प्र.

प्रतिलिपि
1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उब शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उब शिक्षा विभाग, मंत्रालय ।
3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच शिक्षा, मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य, समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, एन.सी.टी.ई पाठ्यक्रम संचालित करनेवाले महाविद्यालय मध्यप्रदेश ।
7. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. प्रवेश एजेंसी की ओर कार्यवाही हेतु |